

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष, राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प- रीवा, संभाग

220

रीवा (म.प्र.)



अखण्डेश्वर प्रसाद पिता भोला प्रसाद जायसवाल निवासी ग्राम पोंडी, तह. चितरंगी, जिला सिंगरौली (म.प्र.)
..... निगरानीकर्ता

बनाम

1. हरिहरदास पिता महादेव जायसवाल
2. रोहिणी पिता मानिकलाल जायसवाल
3. रामकृपाल पिता मानिकलाल जायसवाल
4. मुन्सीलाल पिता मानिकलाल जायसवाल
5. मु0 पुनसिया पिता मानिकलाल जायसवाल
6. कविश्वर प्रसाद पिता भोला प्रसाद जायसवाल
निवासी ग्राम पोंडी तह. चितरंगी, जिला - सिंगरौली (म.प्र.)
7. मध्यप्रदेश शासन

..... गैरनिगरानीकर्तागण

R-1331-5/12

अधीक्षक श्री विवेक शर्मा डाय उच्चत
सेवा. दि० 7-06-2012

7/06/12

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 11.04.12 जो राजस्व प्रकरण क्र.113/निग./10-11 को माननीय कले0 महो0 सिंगरौली द्वारा पारित किया गया।

अपील अन्तर्गत धारा 50 भू.रा.सं.1959

27/6/12

संक्षिप्त आधार

निगरानीकर्ता द्वारा ग्राम पोंडी तह. चितरंगी जिला सिंगरौली स्थित आराजी खसरा नं. 625 रकां 0.12 व 687 रकवा 0.05 को बंदोबस्त के दौरान हुए अभिलेखीय त्रुटि के सुधार हेतु माननीय तहसीलदार महोदय चितरंगी के न्यायालय में संहिता की धारा 89 का आवेदन प्रस्तुत किया गया। माननीय तहसीलदार महोदय द्वारा प्रकरण को अवलोकन कर


अखण्डेश्वर

7/6/12

(96)
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R.1931-I/12 जिला-रीवा

अरवोश्वर प्र० जायसवाल विरुद्ध हरिहर प्र० जायसवाल

(1)	(2)	(3)
16-1-19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री <u>विवेक शर्मा</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर/ अप्स कलेक्टर, जिला <u>रीवा</u> के प्रकरण क्रमांक <u>113/निगरानी/20/0-11</u> में पारित आदेश दिनांक <u>11.04.12</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक <u>29.03.19</u> को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	